राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 483/2015/श्रीगंगानगर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बेनीवाल पेस्टीसाईड्स स्टोर,
बस स्टैण्ड, थालड़का जिला श्रीगंगानगर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 30/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 449/आरवैट/हनुमानगढ़/2013–14 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 10.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 1,48,778/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 18.09.2013 को वाहन सं. RJ-13-GA-6972 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान चैक किया गया। जांच के दौरान 57 कार्टून पेस्टीसाईड्स प्रत्यर्थी व्यवहारी के लैटर हैड पर श्रीगंगानगर की फर्म मै. बी.ए.एस.एफ. इण्डिया लि. की विगत लिखकर मै. गणपति ट्रांसपोर्ट नोहर की बिल्टी संख्या 7398 से परिवहनित किये जा रहे थे। सशक्त अधिकारी द्वारा वक्त जाँच परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत प्रपत्र छद्म एवं असत्य प्रतीत होने से वाहन चालक/ प्रभारी को वास्ते स्पष्टीकरण नोटिस दिया गया। जिसकी पालना में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए माल से सम्बन्धित दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुये सशक्त अधिकारी ने परिवहनीत किये जा रहे माल कीमतन रू. 4,25,080/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रू. 1,27,524/– एवं कर रूपये 21,254/– कुल मांग राशि रूपये 1,48,778/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी

लगातार..................2

व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी पेस्टीसाईड्स एवं फर्टिलाईजर में व्यवसाय करता है। सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी के प्रकरण में धारा 76(6) के तहत अभियोग दर्ज किया है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा विक्रेता व्यवहारी मै. बी.ए. एस.एफ. इण्डिया लि. श्रीगंगानगर डिपो को माल की विगत लिखकर खरीद किये गये माल को मै. गणपति ट्रांसपोर्ट नोहर को वापिस भेजा था। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी ने कुछ समय पूर्व में ही माल मै. बी.ए.एस.एफ. इण्डिया लि. श्रीगंगानगर से वर्ष 2013–14 की प्रथम तिमाही में ही क्रय किया था। उन्होने अपने कथन में कहा कि यह बिक्री नहीं थी बल्कि क्रय वापसी थी जिसके बारे में वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच माल के साथ संलग्न वेट इन्वॉयस के बायें भाग में स्पष्ट रूप से ''क्रय वापसी'' दर्शाया गया था लेकिन फिर भी सशक्त अधिकारी ने इसे बिना किसी साक्ष्य एवं आधार के विक्रय वापसी माना है न कि क्रय वापसी जो तथ्यात्मक रूप से अनुचित है। अन्त में उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन बिन्दू क्रय वापसी/विक्रय वापसी का है। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो माल मै. बी.ए. एस.एफ. इण्डिया लि. श्रीगंगानगर से क्रय किया गया था उसी माल को उसके द्वारा वापस रिटर्न किया गया तथा प्रत्यर्थी ने जो वर्ष 2013–14 के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही रिटर्न प्रस्तुत किये, से भी स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी ने क्रय किये गये माल पर ही आईटीसी क्लेम किया है तथा क्रय वापसी करने पर कर को रिवर्स किया है। इस स्थिति में सशक्त अधिकारी द्वारा इस क्रय वापसी को विक्रय वापसी किस आधार पर

लगातार..................3

माना गया है, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सशक्त अधिकारी ने वक्त जाँच प्रस्तुत किये गये बिल एवं बिल्टी को केवल मात्र कल्पना के आधार पर असत्य एवं बोगस माना है, जो उचित नहीं है। प्रकरण के संबंध में वक्त जाँच अधिनियम के तहत परिवहनित माल से संबंधित समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत कर दिये गये थे जिन्हे सशक्त अधिकारी ने बोगस/मिथ्या प्रमाणित किये बिना केवल परिवहनित माल को विक्रय वापसी मानकर शास्ति एवं कर आरोपित कर दी गयी जो विधिसम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य